अपलोड/ईमेल

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(29)खा.वि./आवंटन/2024–02560

हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर, 2013 से लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर सम्पूर्ण प्रदेश में प्राथमिकता परिवारों (P.H.H.) को सूचीबद्ध किया गया है। राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 में प्राथमिक परिवारों के चयन व निष्कासन हेतु तथा खाद्य सुरक्षा योजना में खाद्यान्न से प्रतिमाह लाभान्वित करने हेतु तैयार प्राथमिक सूची के पात्र वंचित व्यक्तियों, परिवारों को जोड़ने व प्राथमिक सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाने हेतु अपीलीय प्रकिया का प्रावधान किये गये है।

इस अपीलीय प्रक्रिया में सरलीकरण करने के लिए पूर्व में जारी समस्त आदेश/निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति/परिवार खाद्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (शहरी/ग्रामीण) प्रपत्र–1 में आवेदन किया जायेगा। आवेदन के समय संबंधित श्रेणी जिसमें आवेदक सम्मिलित है (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड का क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने का साक्ष्य इत्यादि)। उसी श्रेणी का दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित (सैल्फ अटैस्टेड) अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
2. आवेदन पत्र के साथ आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि आवेदक खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची निष्कासन की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।
3. संबंधित अपीलीय अधिकारी प्राप्त आवेदन अग्रिम जॉच हेतु शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को प्रेषित करेगा। संबंधित द्वारा मौके की जांच कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा करवाई जायेगी। कमेटी (पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी/स्थानीय निकाय का कार्मिक, बूथ लेवल अधिकारी) द्वारा प्राप्त आवेदनों की मौके पर जॉच हेतु आवेदन ऑफलाइन भेजा जायेगा।
4. शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी उक्त कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट को अपलोड करेगे तथा सम्पूर्ण जाँच (दस्तावेज एवं मौके की स्थिति) के आधार पर नाम जोडने के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुनः प्रेषित करेंगे।
5. तदोपरान्त संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोडने अथवा नहीं जोडने का निर्णय लेकर आवेदन निरस्तारित किया जायेगा।
6. अपीलीय अधिकारी (उप खण्ड अधिकारी/जिला रसद अधिकारी) द्वारा अपील आदेश कम्प्यूटर जनरेटेड डिजिटाईज्ड हस्ताक्षर से जारी किया जावेगा, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर करने के साथ ही आवेदक का नाम खाद्य सुरक्षा सूची में नाम स्वतः ही ऑनलाइन अपडेट हो जायेगा।
7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोडने/नही जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर की जायेगी।
8. यदि आवेदक द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा में [illegible] प्रकरण [illegible] आता है तो ऐसे आवेदक का नाम निरस्त करते हुए उसके [illegible] जायेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subir Kumar
Designation: Principal Secretary To Government
Date: 2025.01.22 12:13:32 IST
Reason: Approved

सुबीर कुमार
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, समस्त प्रभारी मंत्रीगण, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त प्रभारी सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
10. समस्त उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की एक प्रति उपखण्ड अधिकारी को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को संबंधित को ई–मेल एवं विभागीय वेबसाईट का अपलोड करने हेतु।
13. रक्षा पत्रिका।

प्रमुख शासन सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Subir Kumar
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.01.22 12:13:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13131669